लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/09/2018 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 08.01.2018

श्री भरत लाल सुथार मु. पो. कारूण्डा, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 25.01.2018

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 24.11.2017 को रजिस्टर्ड ड़ाक से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 09/2018/(25.01)/30 दिनांक 10.01.2018 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 25.01.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 25.01.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/54 दिनांक 23.01.2018 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

1. यह है कि प्रार्थी श्री भरतलाल सुथार निवासी कारूण्डा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.11.2017 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है उक्त प्रार्थी प्रार्थना पत्र की प्रति संदर्भित पत्रांक से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।
2. यह है कि प्रार्थी श्री भरतलाल सुथार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना शीघ्र ही संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर प्रार्थी को सात दिवस में विधिवत भिजवादी जायेगी।
3. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.2017 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं होने से सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। जिससे इस कार्यालय स्तर से तत्कालीन समय मे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही थी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रस्तुत अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/54 दिनांक 23.01.2018 से प्रेषित कमेंट्स का अवलोकन कर उस पर मनन किया।

अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाऐं चाहने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 24.11.2017 को रजिस्टर्ड ड़ाक से प्रेषित किया गया है जिससे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ का कथन की, उक्त आवेदन पत्र दिनांक 24.11.2017 उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं होकर इस अपील मेमों के साथ प्राप्त हुआ है मानने योग्य नहीं है।

प्रकरण संख्या 09/2018 (सू.अ.)
श्री भरत लाल सुथार मु. पो. कारुण्डा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाऐं उसे आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराई जानी थी जो कि अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचनाऐं निः शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते हैं।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./09/2018(सू.अ.)/ दिनांकः– / /2018

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री भरत लाल सुथार मु. पो. कारूण्डा, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़–312604

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)